परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09/07/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
3	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
4	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
5	डॉ0 शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
6	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	प्रवक्ता, समाज शास्त्र विभाग	सदस्य
7	डॉ0 नरेन्द्र प्रकाश राय	प्राचार्य, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर	सदस्य
8	डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
9	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
10	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ, शिक्षक महाविद्यालय	सदस्य
11	डॉ0 (श्रीमती) सरोज श्रीवास्तव	वरिष्ठ, शिक्षक महाविद्यालय	सदस्य
12	डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
13	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

विशेष आमंत्रित

1	प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता	प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल
2	डॉ0 रंजीत गुप्ता	सदस्य, अनुचित साधन प्रयोग कमेटी

कार्यसूची :

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06/05/2016 की कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार—
   निर्णयः समिति ने उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की।

2. भागीरथी कृषक महाविद्यालय, भागीरथ नगर महराजगंज के केन्द्राध्यक्ष द्वारा अपने पत्र दिनांक 05/03/2016 के क्रम में अवगत कराया है कि परीक्षा के उपरान्त उत्तरपुस्तिका को सील बन्द करते समय राम नगीना पुत्र श्री हरिद्वार अपने कुछ साथियों के साथ आये और शिक्षकों एवं कर्मचारियों से मार—पीट कर दिनांक 04/03/2016 की सायं की पाली में बी0काम0 भाग तीन की उत्तरपुस्तिका लेकर भाग गये। केन्द्राध्यक्ष द्वारा थाना—कोल्हुई जिला महराजगंज में प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराकर विश्वविद्यालय को सूचना दी गयी है। तदक्रम में इन छात्रों के प्रकरण पर विचार—

   निर्णयः समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भागीरथी कृषक महाविद्यालय; भागीरथ नगर, महराजगंज में दिनांक 04/03/2016 को सायं पाली में सम्पन्न बी0काम0 भाग तीन की परीक्षा पुनः करायी जाय एवं इस हेतु समीपस्थ किसी अनुदानित महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

3. पूजा पुत्री एस.एस. चौबे, बी0एस—सी0 भाग—1, 2 एवं 3 वर्ष—2012, 2013 एवं 2014 महात्मा गांधी पी0जी0 कालेज गोरखपुर ने अपने पिता के नाम एस0एस0 चौबे के स्थान पर साधू शरण चौबे अंकित करने की मांग की है। इनके हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका पर पिता का नाम साधू शरण चौबे अंकित है। तदक्रम में छात्रा के पिता के नाम के संशोधन पर विचार—

   निर्णयः समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूजा पुत्र एस.एस. चौबे, बी0एस—सी0 भाग—1, 2 एवं 3 वर्ष—2012, 2013 एवं 2014 महात्मा गांधी पी0जी0 कालेज गोरखपुर के पिता के नाम में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उक्त संशोधन कर लिया जाय।

4. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/04/2016 के निर्णय के आलोक में ज्ञान भारती महाविद्यालय रगड़गंज, कुशीनगर में परीक्षा सम्बन्धी अनियमितता के क्रम में गठित तथ्यान्वेषण समिति (Fact Finding Committee) के संयोजक प्रो0 पी0सी0 शुक्ल अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय द्वारा प्रस्तुत सील बन्द

I. 'ज्ञान भारती महाविद्यालय ... बी0ए0 द्वितीय वर्ष, ...
प्रश्नपत्रों क्रमशः बी0ए0 प्रथम वर्ष, हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र व बी0ए0 द्वितीय वर्ष, ...
पत्र की परीक्षा पुनः करा ली जाय।

II. छात्रों की परीक्षा हेतु महाविद्यालय के समीपस्थ किसी अनुदानित महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बना लिया जाय।

III. ज्ञान भारती महाविद्यालय रगड़गंज, कुशीनगर को भविष्य में परीक्षा केन्द्र कदापि न बनाया जाय।

IV. केन्द्राध्यक्ष, श्री प्रणव कुमार चतुर्वेदी को सदैव के लिए प्रशासनिक कार्यों, परीक्षा एवं मूल्यांकन आदि कार्यों से डिबार किया गया।

V. समिति सर्वसम्मति से इस महाविद्यालय की सम्बद्धता रद्द कर करने की संस्तुति करती है, इस हेतु प्रकरण को कार्यपरिषद को सन्दर्भित किया गया।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष के अनुमति से–

1. इन्दू देवी रामपति महाविद्यालय सेवरही कुशीनगर के बी0ए0 प्रथम वर्ष भूगोल प्रयोगात्मक परीक्षा वर्ष–2016 के सम्बन्ध में अध्यक्ष, भूगोल विभाग द्वारा प्राचार्य के पत्र के आधार पर पूर्व में नियुक्त परीक्षकों के स्थान पर नये नाम प्रस्तावित किये गये थे। पूर्व नियुक्त परीक्षकों के शिकायत सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने पर विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग ने महाविद्यालय के प्राचार्य से उनका पुनः पक्ष पत्र के माध्यम से प्राप्त किया। सभी तथ्यों के आलोक में विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग ने स्पष्ट रूप से अपनी आख्या में नये परीक्षकों द्वारा करायी गयी परीक्षा को पूर्णतः उचित बताया है। तदक्रम में विचार–

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष, भूगोल विभाग की आख्या को स्वीकार करते हुए नये परीक्षकों द्वारा करायी गयी परीक्षा के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया।

2. गिरिजेश कुमार मिश्र पुत्र श्री केदार नाथ मिश्र बी0एस–सी0 भाग तीन अनुक्रमांक 167169 वर्ष–2000 शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती ने अपने पत्र दिनांक 05/05/2016 के द्वारा सूचित किया है कि मेरा चयन सहायक अध्यापक के पद पर हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है किन्तु अभिलेख कक्ष में उक्त अनुक्रमांक से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज उपलब्ध नहीं है। सारणीयन पंजिका के पेज के सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 04/05/2016 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त अनुक्रमांक से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज महाविद्यालय में भी उपलब्ध नहीं है। प्राचार्य ने अपने पत्र संख्या SK/6009/2015–16 दिनांक 11/05/2016 द्वारा अवगत कराया है कि श्री गिरिजेश कुमार मिश्र पुत्र श्री केदारनाथ मिश्र बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष–2000 अनुक्रमांक 167169 की अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके जांचकर्ता श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव एवं श्री चन्द्रमोहन मिश्र हैं एवं जारी कर्ता डॉ0 मधुर नारायण मिश्र हैं। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र भी महाविद्यालय द्वारा निर्गत किया गया है जिसकी लेखिका श्रीमती प्रतिमा मिश्रा एवं जारीकर्ता डॉ0 बलराम गुप्ता हैं। इसके अतिरिक्त छात्र ने विश्वविद्यालय से माइग्रेशन प्रमाण पत्र व उपाधि भी प्राप्त की है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उक्त अनुक्रमांक के अभिलेख के सत्यापन पर विचार––

निर्णयः समिति ने प्राचार्य के पत्र के आलोक में अंकपत्र व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र स्पष्टतः महाविद्यालय द्वारा जारी होने के क्रम में व विश्वविद्यालय द्वारा भी उपाधि जारी होने के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि गिरिजेश कुमार मिश्र पुत्र श्री केदार नाथ मिश्र बी0एस–सी0 भाग तीन अनुक्रमांक 167169 वर्ष–2000 शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती से शपथ पत्र लेकर उसके अभिलेख का सत्यापन कर दिया जाय। एवं अंक विवरण एक अलग चार्ट पर अंकित कर लिया जाय। साथ ही इस तरह की प्रवृत्ति (सारणीयन पंजिका के गायब होने) पर रोक लगायी जाय।

3. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2016 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दल के रिपोर्ट के क्रम में निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित विभागीय समिति की संस्तुतियों पर विचार–

निर्णयः समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दलों एवं परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों तथा सामूहिक नकल निस्तारण समितियों द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर सम्यक विचार कर निम्नवत निर्णय लिया –

(क) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उनसे सम्बन्धित महाविद्यालयों के परीक्षाफल तत्काल घोषित कर दिये जाय।

(ख) ऐसे प्रश्नपत्र जिनमें सामूहिक नकल का आरोप सिद्ध पाया गया है उनसे सम्बन्धित परीक्षाफल सम्बन्धित छात्रों के आरोप सिद्ध प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक से प्राप्तांक के 30 प्रतिशत अंकों की कटौती कर घोषित कर दिये जाय।

(ग) ऐसे महाविद्यालय जिसमें एक से अधिक प्रश्नपत्रों में सामूहिक नकल के आरोप की पुष्टि हुई उन महाविद्यालयों को आगामी परीक्षा वर्ष–2017 में परीक्षा केन्द्र न बनाया जाने के सम्बन्ध में केन्द्र निर्धारण के समय विचार किया जाय।

(घ) ओ0एम0आर0 सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में शिकायतों के सम्बन्ध में परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के अन्तरों को दृष्टिगत रखते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

(ङ) सामूहिक नकल में आरोप सिद्ध महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त केन्द्राध्यक्षों को आगामी परीक्षा वर्ष–2017 में केन्द्राध्यक्ष न बनाया जाय। (जहाँ नकल के बाद केन्द्राध्यक्ष बदले गये हैं उन पर लागू नहीं)

(च) बागेश्वरी शिक्षण संस्थान महाविद्यालय, मईल, देवरिया में बी0ए0 प्रथम वर्ष समाज शास्त्र, द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में कु0 माधुरी गौड़, अनुक्रमांक 1610011610005 की जगह दूसरी छात्रा द्वारा परीक्षा देने की शिकायत पर कु0 माधुरी गौड़, अनुक्रमांक 161001161005 का परीक्षाफल निरस्त किया जाय तथा महाविद्यालय को छात्रा का प्रवेश निरस्त करने हेतु निर्देशित किया जाय।

(छ) माँ फुलपति देवी महिला महाविद्यालय डुमरी रामपुर कारखाना, देवरिया के सम्बन्ध में उड़ाका दल की रिपोर्ट के क्रम में डॉ0 अरूण कुमार तिवारी के पत्र व महाविद्यालय से मांगे गये स्पष्टीकरण के उत्तर के क्रम में विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि माँ फूलपति देवी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामपुर कारखाना, देवरिया के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त केन्द्राध्यक्ष डॉ0 अरूण कुमार तिवारी के समय से महाविद्यालय में योगदान न करने व अपने रिफ्यूजल के संदर्भ के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को समय से सूचित न करने हेतु एक चेतावनी पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया साथ ही महाविद्यालय के प्रबन्धक को भी एक कड़ी चेतावनी पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया गया कि उनके महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त केन्द्राध्यक्ष के समयान्तर्गत योगदान न करने पर उन्होंने विश्वविद्यालय को क्यों सूचित नहीं किया।

(ज) स्वर्णप्रभा महिला पी0जी0 कालेज आनन्दनगर, महराजगंज के दिनांक 04/04/2016 (सायं पाली) बी0ए0 भाग दो (गृहविज्ञान) प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा व दिनांक 12/04/2016 की पूर्वान्ह पाली की परीक्षा के सन्दर्भ में क्षेत्रीय उड़ाका दल के संयोजक की रिपोर्ट/पत्रों एवं महाविद्यालय के केन्द्राध्यक्ष/प्रभारी, केन्द्राध्यक्ष के पत्रों के माध्यम से प्राप्त परस्पर विरोधी सूचनाओं के क्रम में जांच हेतु कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की गयी। जांच समिति की आख्या से अवगत होते हुए समिति ने स्पष्ट व निर्णायक तथ्यों के अभाव में उक्त प्रश्नपत्रों के परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया।

(झ) सत्र 2016–17 की वार्षिक परीक्षा हेतु नये महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र तभी बनाया जाय जब महाविद्यालय अपने यहाँ सी.सी. टी.वी. कैमरायुक्त सबल कक्ष (स्ट्रांग रूम) की व्यवस्था कर ले।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

ll/4